भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 842

24, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत केंद्रीय सहायता

842. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वर्तमान केंद्रीय सहायता एक सामान्य पक्का घर के निर्माण के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बढ़ती निर्माण लागत के अनुरूप सहायता के केंद्रीय हिस्से में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर केरल के लिए, कितनी निधि का आवंटन किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य आवास उपलब्ध कराना है। फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के

लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटक को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। आईएसएस घटक को केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.25 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 112.81 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 14.07.2025 तक 93.60 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए अपेक्षित निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारे/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वित्त पोषण लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अन्य स्रोतों से भी निधि की व्यवस्था करके आवासों का निर्माण करने में उनको सक्षम बनाने के लिए है। हालांकि, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों पर बोझ को कम करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार अपना बढ़ा हुआ हिस्सा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के बीएलसी/एएचपी घटक के तहत सरकारी सहायता 90:10 के अनुपात में तय की गई है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र और राज्य साझेदारी अनुपात 100:0 है जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 60:40 है। इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल राज्य सहित चालू वित्त वर्ष के लिए पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत एसएनए/एसएनए स्पर्श के माध्यम से जारी निधि का राज्य-वार विवरण, अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

दिनांक 24-07-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केरल राज्य सहित चालू वित्त वर्ष के लिए पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत जारी निधि का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2025-26 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	-
2		बिहार	922.74
3		छत्तीसगढ	50.00
4		गोवा	-
5		गुजरात	99.95
6		हरियाणा	50.00
7		हिमाचल प्रदेश	3.00
8		झारखंड	226.25
9		कर्नाटक	205.20
10		केरल	122.24
11		मध्य प्रदेश	-
12		महाराष्ट्र	-
13		ओडिशा	104.76
14		पंजाब	143.13
15		राजस्थान	502.85
16		तमिलनाडु	88.27
17		तेलंगाना	169.99
18		उत्तर प्रदेश	738.83
19		उत्तराखंड	54.81
20		पश्चिम बंगाल	716.29
उप-योग (राज्य)			**4,198.32**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8.49
22		असम	124.15
23		मणिपुर	-
24		मेघालय	15.47
25		मिजोरम	24.95
26		नागालैंड	-
27		सिक्किम	-
28		त्रिपुरा	49.03
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**222.09**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
30		चंडीगढ़	-
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	-
32		दिल्ली	-
33		जम्मू और कश्मीर	-
34		लद्दाख	-
35		लक्षद्वीप	-
36		पुदुचेरी	4.02
उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र)			**4.02**
कुल			**4,424.43**

*****